न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 134/2021
आरसीएमएस नं. 2021/00137

सुधा शर्मा पुत्री श्री चन्द्रमणी पत्नी स्व श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी गली नं. 10 अग्रसैन कॉलोनी आटो मार्केट सिरसा हरियाणा। —रेस्पोडेण्ट

बनाम

1. रेखा पत्नी हरीश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 123 एडीसी कॉलोनी बरनाला रोड़ सिरसा
2. प्रदीप
3. राहुल
4. मनीषा

} पुत्र पुत्रिया हरीश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 123 एडीसी कॉलोनी बरनाला रोड़ सिरसा।

5. सतीश लाटा पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम मकान नं. 2/118 आजाद वाटिका के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमागनढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. जयप्रकाश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मन्दिर के सामने लाटा भवन नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुरजी देवी पुत्री परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मन्दिर के सामने लाटा भवन नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गोपाल पुत्र कमल पुत्र परसराम लाटा जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सुखदा पत्नी गुड्डु पुत्र कमल लाटा पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।
10. विकी
11. गंगा
12. जमना

} पिसरान गुड्डु पुत्र कमल पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।

13. शिवरतन } पिसरान परसराम जाति ब्राहमण निवासी सी/33 गजनेर रोड़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. मेघराम पण्डित धर्मकाण्टा के पिछे बीकानेर।

15. ओम प्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी सी 33 गजनेर रोड़ पण्डित धर्मकाण्टा के पीछे बीकानेर –फौत।

15/1 कुनाल शर्मा पुत्र
15/2 मिनाक्षी शर्मा पुत्री
15/3 दीपिका शर्मा पुत्री
15/4 मोना शर्मा पुत्री
15/5 मीरा लाटा पत्नी
} ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहमण निवासी सी 33 गजनेर रोड़ पण्डित धर्मकांटा के पीछे बीकानेर।

16. संतोष कुमार पुत्र श्री किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राहमण निवासी भवानीपुर कलकता, प0 बंगाल

17. राजकुमार पुत्र किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राहम्ण निवासी पालीहीन बम्बई महाराष्ट्र

18. गिरीश कुमार पुत्र किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राम्हण निवासी बोरीवेल बम्बई महाराष्ट्र

19. नरेश कुमार पुत्र चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राहम्ण निवासी 123 चितरन्जन एवेन्य कलकत्ता प0 बंगाल–फौत

19/1 पवन कुमार पुत्र
19/2 पूनम शर्मा पुत्री
19/3 वन्दना शर्मा पुत्री
19/4 प्रभा लाटा पत्नी
} नरेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल।

20. सुरेश कुमार पुत्र चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राहम्ण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल–फौत

20/1 ललित पुत्र
20/2 मिना लाटा पुत्री
20/3 बीनू लाटा पत्नी
} सुरेश कुमार चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल

21. मधु पुत्री चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल जाति ब्राम्हण निवासी वीएसएन एल अपार्टमेन्ट सेक्टर नं0 62 नोएडा।

22. कुसुम पुत्री किशनलाल पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी बोण्ला हाल फलेट नं0 ए–1601 आम्रपाली सफायर सोसायटी सेक्टर नम्बर 45 नाएडा–201303

23. सुनिता पुत्री किशनलाल लाटा पत्नी घनश्याम आयु 56 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोहरिया बाजार सिरसा।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.06.2016

द्वारा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, भादरा

प्रकरण संख्या 83/2013 बअनवान सुनिता आदि बनाम रेखा आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2, ,3 ,5, 6, 9 ता 12, 15/1, 15/2, 15/5

निर्णय दिनांक – 19.X.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्टा व रेस्पोडेण्ट सं0 23 वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद इस्तकरारहक बदुरूस्ती रिकार्ड खिलाफ रेस्पो/प्रतिवादी सं0 1 ता 22 पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 35/34 के खसरा नं. 446 की तादादी 13.860 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि में परसराम के नाम 1/3 हिस्सा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में चलती आ रही है। परसराम का देहान्त हो चुका है इसलिए उनके प्रथम प्रतिनिधि प्रथम श्रेणी को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वाद भूमि में परसराम का कोई हक एवं हिस्सा नहीं तथा वाद भूमि आज भी परसराम के नाम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वादिया सुनिता की माता महादेवी का भी देहान्त हो गया है लेकिन विरासतन इन्तकाल अभी तक नहीं करवा गया है । वादीया ने वादभूमि रोही मोजा रासलाना के खसरा नं. 446 की तादादी 13.860 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादिया सुनिता एवं तरतीबी प्रतिवादी राजकुमार, सन्तोष कुमार गिरीश कुमार कुश्म 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा वादिया सुधा एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नरेश कुमार सुरेश कुमार तथा मधु 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। घोषणा करने के बाद जमाबन्दी हाल में मृतक

राजस्व अपील अधिकारी राज. हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

महादेवी एवं मृतक परसराम का नाम कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 23 द्वारा जो वाद विचारण न्यायलाय के समक्ष पेश किया उसका किसी भी प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष आकर विरोध नही किया बल्कि प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर वादी के दावा के समर्थन में इकबालदावा पेश किया था। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 व 7 ता 9 समस्त स्व0 परसराम के वारिसान ही थे जिन्हांने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दावा का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। दावा खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि खोलानामा दिनांक 27.01.1942 के आधार पर प्रस्तुत किया है परन्तु खोलानामा की असल प्रति प्रस्तुत नहीं की एवं खोलानाम पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए विचारण न्यायालय ने वाद वादिया खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने इकबालदावा के जरिये स्वीकार किया है। दावा में अंकित तथ्य स्वीकृत तथ्य थे जिन्हें प्रथमतः सिद्ध करने की आवश्यकता ही नही थी। परसराम ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता के तहत प्रश्नगत भूम मं अपना कोई हक हिस्सा नही हेाना तस्लीम किया था इसी कारण उनके वारिसान ने भी दावा में अंकित तथ्यों की ताईद की थी। खोलानामा जो प्रस्तुत हुआ था उसे प्रदर्श 3 ए गोदनामा अपने बयानों से सिद्ध किया है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यही कथा था कि दावा आपका डिक्री हो जायेगा आपको प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। उक्त कथन अपलाण्टा को उनके पति के समक्ष दिनांक 24.09.2015 को कहे थे एवं यह भी कहा था कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगता है इसिलए आपके सूचित कर दिया जावेगा आप निश्चित रहें। अपीलाट के पति किडनी आदि की गम्भीर बिमारी से सन 2016 में अस्वस्थ होने एवं अपीलाण्टा उनकी सेवा में रही परन्तु अपीलाण्टा के पति दिनांक 04.08.2017 को फौत हो गये अपीलाट के पति की मृत्यु के बाद लगभग परिवार के भरण पोषण में चिन्तित रही फिर कोविड–19 महामारी के कारण भी कहीं बाहर नही निकल सकी अब दिनांक 04.07.2021 को वह अपनी भूमि के बारे में सार सम्भल करने हेतु गांव रासलाना आई तब भादरा स्थित अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा प्रकरण की जानकारी दी तब अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन 2008 आरबीजे पेज 761, 2003 आरबीजे एस सी पेज 18, 1992 आरआरडी पेज 540, 2021 आरआरटी पेज 1274, 2021 आरआरटी पेज 1204 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गुणावगुण पर बल नहीं रखती है। अपीलांट प्रार्थी को निर्णय दिनांक 08.06.2016 का शुरू से ज्ञान रहा है। तथा अपीलांट प्रार्थी का वकील हर तारीख पेशी पर हाजिर है तथा वकील की हाजरी पार्टी/पक्षकार की हाजरी मानी जाती है तथा अपीलांट किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नही है। अपीलाट ने अत्यधिक देरीना अपील पेश की है जो लगभग 5 वष बाद पेश की जो किसी भी प्रकार देरी की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने असल गोदनामा पेश नहीं किया है गोदनामा की जो फोटो प्रति पेश की है उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अधिकारों की घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिसमें खसरा नं. 446 की तादादी 13.860 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा होने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने वादीया का वाद खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 23 द्वारा जो वाद विचारण न्यायलाय के समक्ष पेश किया उसका किसी भी प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष आकर विरोध नही किया बल्कि प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर वादी के दावा के समर्थन में इकबालदावा पेश किया था। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 व 7 ता 9 समस्त स्व0 परसराम के वारिसान ही थे जिन्हांने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दावा का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि खोलानामा दिनांक 27.01.1942 के आधार पर प्रस्तुत किया है परन्तु खोलानामा की असल प्रति प्रस्तुत नहीं की एवं खोलानामा पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए विचारण न्यायालय ने वाद वादिया खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.X.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

19/X/22

(करतारसिंह पूनीया)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 134/2021
आरसीएमएस नं. 2021/00137

सुधा शर्मा पुत्री श्री चन्द्रमणी पत्नी स्व श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी गली नं. 10 अग्रसैन कॉलोनी आटो मार्केट सिरसा हरियाणा। –रेस्पोडेण्ट

बनाम

1. रेखा पत्नी हरीश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 123 एडीसी कॉलोनी बरनाला रोड़ सिरसा
2. प्रदीप
3. राहुल
4. मनीषा
} पुत्र पुत्रिया हरीश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 123 एडीसी कॉलोनी बरनाला रोड़ सिरसा।
5. सतीश लाटा पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम मकान नं. 2/118 आजाद वाटिका के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमागनढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. जयप्रकाश पुत्र राधाकृष्ण पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मन्दिर के सामने लाटा भवन नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुरजी देवी पुत्री परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मन्दिर के सामने लाटा भवन नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गोपाल पुत्र कमल पुत्र परसराम लाटा जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सुंखदा पत्नी गुड्डु पुत्र कमल लाटा पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।
10. विकी
11. गंगा
12. जमना
} पिसरान गुड्डु पुत्र कमल पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी लाटा जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के सामने नोहर जिला हनुमानगढ।
13. शिवरतन
14. मेघराम
} पिसरान परसराम जाति ब्राहमण निवासी सी/33 गजनेर रोड़ पण्डित धर्मकाण्टा के पिछे बीकानेर।
15. ओम प्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी सी 33 गजनेर रोड़ पण्डित धर्मकाण्टा के पीछे बीकानेर –फौत।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15/1 कुनाल शर्मा पुत्र
15/2 मिनाक्षी शर्मा पुत्री
15/3 दीपिका शर्मा पुत्री
15/4 मोना शर्मा पुत्री
15/5 मीरा लाटा पत्नी
} ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहमण निवासी सी 33 गजनेर रोड़ पण्डित धर्मकांटा के पीछे बीकानेर।

16. संतोष कुमार पुत्र श्री किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राहमण निवासी भवानीपुर कलकता, प0 बंगाल
17. राजकुमार पुत्र किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राहम्ण निवासी पालीहीन बम्बई महाराष्ट्र
18. गिरीश कुमार पुत्र किशनलाल पुत्र हजारीमल जाति ब्राम्हण निवासी बोरीवेल बम्बई महाराष्ट्र
19. नरेश कुमार पुत्र चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राहम्ण निवासी 123 चितरन्जन एवेन्य कलकत्ता प0 बंगाल–फौत

19/1 पवन कुमार पुत्र
19/2 पूनम शर्मा पुत्री
19/3 वन्दना शर्मा पुत्री
19/4 प्रभा लाटा पत्नी
} नरेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल।

20. सुरेश कुमार पुत्र चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राहम्ण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल–फौत

20/1 ललित पुत्र
20/2 मिना लाटा पुत्री
20/3 बीनू लाटा पत्नी
} सुरेश कुमार चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी 123 चितरन्जन एवन्यु कलकता प0 बंगाल

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

21. मधु पुत्री चन्द्रमणी पुत्र हजारीमल जाति ब्राम्हण निवासी वीएसएन एल अपार्टमेन्ट सेक्टर नं0 62 नोएडा।
22. कुसुम पुत्री किशनलाल पुत्र हजारीमल ब्राम्हण निवासी बोण्ला हाल फलेट नं0 ए–1601 आम्रपाली सफायर सोसायटी सेक्टर नम्बर 45 नाएडा–201303
23. सुनिता पुत्री किशनलाल लाटा पत्नी घनश्याम आयु 56 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी नोहरिया बाजार सिरसा।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 08.06.2016
द्वारा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, भादरा
प्रकरण संख्या 83/2013 बअनवान सुनिता आदि बनाम रेखा आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2, ,3 ,5, 6, 9 ता 12, 15/1, 15/2, 15/5 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.X.22 को जारी की गई।

20/X/22

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़